संख्या : 2145 जेड/6–सा–1–06–55जी/90

प्रेषक,

डा0 आर0सी0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 04 सितम्बर, 2006

गृह (सामान्य) अनुभाग–1

विषय : देश में आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में जेल में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा देश में आपातकालीन अवधि दिनांक 25.6.1975 से 21.3.1977 के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मानित किये जाने हेतु निम्नलिखित सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) आपातकाल के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को रूपये 500/– (रूपये पाँच सौ मात्र) मासिक सम्मान राशि दी जायेगी। यह राशि दिनांक 1.4.2006 से देय होगी।

(2) उपरोक्त राजनैतिक बन्दियों को उनके एक सहयोगी सहित उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी।

(3) उक्त राजनैतिक बन्दियों को "लोकतंत्र सेनानी सम्मान–पत्र" से सम्मानित किया जायेगा।

2– उक्त सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु वे व्यक्ति पात्र होंगे जो आपातकाल के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में राजनैतिक बन्दी के रूप में निरुद्ध रहे हों। राजनैतिक कारण के अलावा अन्य किसी कारण से निरुद्ध व्यक्तियों को उक्त सुविधाएं अनुमन्य नहीं होंगी। यह सुविधा केवल उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासियों को ही अनुमन्य होगी।

3– उक्त सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस शासनादेश के अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी प्रत्येक मामले में नियमावली में विहित प्राविधानों/निर्देशों के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कराकर सम्मान राशि स्वीकृत कर सीधे भुगतान करेंगे।

4– राजनैतिक बन्दी जिस जिले के स्थायी निवासी हों, उसी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सम्मान राशि स्वीकृत की जायेगी। नव सृजित जिलों के जिलाधिकारी मूल जनपद के जिलाधिकारी से अपने जिले की आवश्यकता के अनुसार धनराशि की माँग कर नियमानुसार सम्मान राशि स्वीकृत करेंगे। यह सम्भव है कि किसी जनपद की सूची में किसी और जनपद के व्यक्तियों के नाम आ गए हों, तो ऐसी स्थिति में उनको सम्मान राशि की स्वीकृति स्थायी निवास के जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी और इसके लिये धनराशि सम्बन्धित जनपद को उस जनपद से प्राप्त होगी जहाँ से सूची भेजी गई हो तथा जिसे शासन द्वारा धनराशि आवंटित की गयी हो।

——2

CamScanner

5— उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर नवसृजित जनपद के जिलाधि... के जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित करेंगे और सम्मिलित सूची वाले जिले अपने स्तर से पूरा सूची के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेजेंगे। यदि इसमें कोई कठिनाई होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। मण्डलायुक्तगण कृपया अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6— राजनैतिक बन्दियों को प्रदेश भर में उनके परिचय–पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहायक के साथ निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी।

7— राजनैतिक बन्दियों को "लोकतंत्र सम्मान–पत्र" सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

8— अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने जिले के स्थानीय अखबारों के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को प्राप्त कर तथ्यों व विवरणों के बारे में सम्यक जाँच कराकर सम्मान राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

9— यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या– ई–12–1378/दस–2006, दिनांक– 02.0.2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

10— कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(डा0 आर0सी0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0 : 2145(1) जेड/6–सा–1–06–55जी/90–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12
4— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5— निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6— मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
7— आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
सचिव।

CamScanner